कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

पत्रांकः– 5073/ 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 2-6- 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वाराः– निदेशक/ वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर ।

विषयः– मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग नव निर्माण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 03/05/2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्र द्वारा कि0मी0 27 में दृष्टिगौचर है। उक्त मोटर मार्ग ग्राम धानई के लिये प्रस्तावित है जिसकी अधिकतर जनसंख्या/ आबादी मोटर मार्ग से काफी ऊंचाई पर आच्छादित है, इसके अतिरिक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित अन्य तथ्य निम्नवत् है –

1– यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी (राज्य मार्ग) से 2.00 किमी0 एवं वर्तमान में निर्मित नौटी–छातौली–कल्याणी–चौरासैण (PMGSY के अन्तर्गत) से लगभग 2.25 किमी0 दूरी पर स्थित है।

2– इस ग्राम को मोटर मार्ग का लाभ पहुंचाने हेतु चयनित संरेखण उपयुक्त है, जो कि सीधे कर्णप्रयाग–नौटी– पैठाणी (राज्य मार्ग) मोटर मार्ग से जुडा है। तथा आर्थिक दृष्टि से भी ग्रामीणों हेतु लाभप्रद है।

3– वर्षा के समय में गर्भवती महिला / बीमार व्यक्तियों को मोटर मार्ग तक पहुंचाने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। जबकि मोटर मार्ग बनने के बाद यह समय मात्र 10 से 15 मिनट का होगा, जिससे ग्रामीणों को जीवन बचाने में अत्यन्त सहायता मिलेगी।

4– यह मोटर मार्ग ग्रामीणों की सहमति एवं वन सरपंच की अनुमति के बाद न्यूनतम वृक्षों के पातन को ध्यान में रख कर ही चयनित किया गया है। अन्यत्र स्थल उपयुक्त न होने एवं अन्य ग्राम सभा द्वारा सहमति न मिलने के कारण उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए पहाड की विषम परिस्थितियों एवं जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु विचार करने की कृपा करें। सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, निमार्ण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक 817/1सी0(वन) दिनांक 28/05/2021 की छायाप्रति संलग्न।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यावाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 5073/12-1 दिनाँकित
प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

ई मेल/ऑनलाइन प्रस्तावित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक 817 /1सी0 (वन)

दिनांक 28/05/2021

सेवा में,

उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.910 है0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 है0 कुल 0.940 है0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– **आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 06.5.2021 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक सं0 2736 /FP/UK/ROAD /38601/2019 दिनांक 6.5.2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि देवल से धानई मोटर मोटर मार्ग मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 के अन्तर्गत आच्छादित है। यह मोटर मार्ग Google Map/Google Earth में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 27 में दृष्टिगौचर है। इस सम्बन्ध में आपको यह अवगत कराना है कि धानई ग्राम जिसके लिये यह मोटर मार्ग प्रस्तावित है कि अधिकत्तर जनसंख्या/आबादी मोटर मार्ग से काफी ऊचाई पर आच्छादित है। इसके अतिरिक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित अति–आवश्यक तथ्य निम्नवत् हैः–

1– यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी (राज्य मार्ग) से 2.00 कि0मी0 एवं वर्तमान में निर्मित नौटी–छातौली–कल्याणी–चौरासैंण (PMGSY के अन्तर्गत) से लगभग 2.25 कि0मी0 मोटर मार्ग की दृष्टि से दूरी पर स्थित है।

2– इस ग्राम को मोटर मार्ग का लाभ पहुचाने हेतु चयनित संरेखण उपयुक्त है। जो कि सीधे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी (राज्य मार्ग) से जुडा हुआ है। जो कि आर्थिक दृष्टि से भी ग्रामीणों हेतु लाभप्रद है।

3– वर्षा के समय में गर्भवती महिला/बीमार व्यक्तियों को मोटर मार्ग तक पहुँचने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। जबकि मोटर मार्ग बनने के उपरान्त यह समय मात्र 10 से 15 मिनट का होगा, जिससे ग्रामीणों को जीवन बचाने में अत्यन्त सहायता मिलेगी।

4– यह मोटर मार्ग ग्रामीणों की सहमति एवं वन सरपंच की अनुमति के बाद न्यूनतम वृक्षों के पातन को ध्यान मे रखते ही चयनित किया गया है। अन्य कही से भी संरेखण ले जाने पर अन्य ग्रामसभा द्वारा सहमति भी नहीं दी जा रही है तथा स्थल भी उपयुक्त नहीं है एवं वृक्षों की संख्या भी अधिक आयेगी।

अतः महोदय से अनुरोध है कि ~~की~~ उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पहाड़ की भौगोलिक एवं विषम परिस्थिति एवं जीवन संबंधी आवश्यकता होने के कारण इस मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु विचार करने की कृपा करें।

भवदीय
28/05/21
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 गौचर

पत्रांक /1सी0 वन तद्दिनांक

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 गौचर

Scanned with CamScanner